

कार्यालय/न्यायालय:- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, धार जिला धार म0प्र0

क्रमांक—10 /2024

धार, दिनांक—6/Jan/24

//रिमांड ड्यूटी आदेश//

मैं प्रसन्न सिंह, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, धार म0प्र0 माह जनवरी, 2024 के अवकाश के दिनों में जिला धार की विभिन्न तहसीलों पर पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेट की निम्नानुसार रिमांड ड्यूटी नियत करता हूँ। कॉलम नं.1 में वर्णित न्यायिक मजिस्ट्रेट, कॉलम नं.2 में उल्लेखित अवकाश के दिनों में दोपहर 03:00 बजे से शाम 05:00 बजे तक अपने न्यायालय कक्ष में बैठकर निम्नानुसार वर्णित तारीखों को रिमांड ड्यूटी संपादित करेंगे :—

तहसील—सरदारपुर

कॉलम क्रमांक—1	कॉलम क्रमांक—2 जनवरी, 2024
श्रीमती आकांक्षा यादव, जे.एम.एफ.सी.	13, 14
श्री भूपेन्द्र यादव, जे.एम.एफ.सी.	7, 15
श्री महेन्द्रसिंह मेहसन, जे.एम.एफ.सी.	21, 28
श्रीमती प्रियंका मालपानी राठी, जे.एम.एफ.सी.	26

तहसील—बदनावर

कॉलम क्रमांक—1	कॉलम क्रमांक—2 जनवरी, 2024
श्रीमती ऋतुश्री गुप्ता, जे.एम.एफ.सी.	13, 14, 15
सुश्री जसविता शुक्ला, जे.एम.एफ.सी.	21, 28
सुश्री सीमा धाकड़, जे.एम.एफ.सी.	7, 26

तहसील—धरमपुरी

कॉलम क्रमांक—1	कॉलम क्रमांक—2 जनवरी, 2024
श्री देवेन्द्रसिंह सोलंकी, जे.एम.एफ.सी.	13, 14, 15, 21, 26, 28
सुश्री अपेक्षा यादव, जे.एम.एफ.सी.	7

तहसील—मनावर

कॉलम क्रमांक—1	कॉलम क्रमांक—2 जनवरी, 2024
श्री नरेन्द्र कुमार भंडारी, जे.एम.एफ.सी.	7, 21
सुश्री फाल्नुनी शर्मा, जे.एम.एफ.सी.	26, 28
श्री कृष्ण वोहरा, जे.एम.एफ.सी.	13, 14, 15

तहसील—कुक्षी

कॉलम क्रमांक—1	कॉलम क्रमांक—2 जनवरी, 2024
श्री पन्ना नागेश, जे.एम.एफ.सी.	21, 28
सुश्री अर्चना मर्सकोले, जे.एम.एफ.सी.	26
श्री दीपेन्द्र मालू, जे.एम.एफ.सी.	13, 14, 15
श्री दिलीप माहोर, जे.एम.एफ.सी.	7

नोट:-

1. अपवादिक परिस्थितियों को छोड़कर सामान्य परिस्थिति में रिमांड ड्यूटी में परिवर्तन नहीं किया जावेगा।
2. अपवादिक परिस्थितियों में रिमांड ड्यूटी परिवर्तन हेतु साथी न्यायिक मजिस्ट्रेट की लिखित सहमति का आवेदन नियत रिमांड ड्यूटी से पूर्व दिये जाने पर मेरी अनुमति पश्चात रिमांड ड्यूटी परिवर्तित होगी। यदि रिमांड ड्यूटी संपादित किये जाने में साथी मजिस्ट्रेट की समहति नहीं मिलती है तो दूरभाष पर मुझसे संपर्क नहीं किया जावे।
3. उपरोक्त में से किसी न्यायिक अधिकारी का स्थानांतरण हो जाता है और वह पदभार मुक्त हो जाते हैं अथवा कोई न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण में जाते हैं तो उनके स्थान पर रिमांड ड्यूटी अन्य किसी भी पदस्थ न्यायिक अधिकारी की लगाई जा सकेगी।
4. अन्य कोई विशेष अवकाश होने पर एवं ऐसा कोई अवकाश जो उपरोक्त सूची में सम्मिलित न हो, उस दिन मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट धार द्वारा किसी भी न्यायिक मजिस्ट्रेट को रिमांड ड्यूटी संपादित करने हेतु आदेशित किया जायेगा।
5. यदि किसी अपरिहार्य कारणवश नियत दिनांक को रिमांड ड्यूटी पर न्यायिक अधिकारी अनुपस्थित होते हैं, तो ऐसी स्थिति में रिमांड ड्यूटी मुख्यालय पर उपस्थित अन्य न्यायिक अधिकारी की नियत की जावेगी।

(प्रसन्न सिंह)

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
धार जिला धार म.प्र.

पृ.कं— 11...../2024

धार, दिनांक— 6/Jan/24

प्रतिलिपि:-

- 1— माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, धार की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित।
- 2— श्रीमती प्रियंका मालपानी राठी, जे.एम.एफ.सी. सरदारपुर, की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
- 3— श्री भूपेन्द्र यादव, जे.एम.एफ.सी. सरदारपुर, की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
- 4— श्री महेन्द्रसिंह मेहसन, जे.एम.एफ.सी. सरदारपुर, की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
- 5— श्रीमती आकांक्षा यादव, जे.एम.एफ.सी. सरदारपुर, की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
- 6— श्रीमती ऋतुश्री गुप्ता, जे.एम.एफ.सी. बदनावर, की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
- 7— सुश्री जसविता शुक्ला, जे.एम.एफ.सी. बदनावर, की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
- 8— सुश्री सीमा धाकड़, जे.एम.एफ.सी. बदनावर, की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
- 9— श्री देवन्द्रसिंह सोलंकी, जे.एम.एफ.सी. धरमपुरी, की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
- 10— सुश्री अपेक्षा यादव, जे.एम.एफ.सी. धरमपुरी, की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
- 11— श्री नरेन्द्र कुमार भंडारी, जे.एम.एफ.सी. मनावर की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
- 12— सुश्री फाल्नुजी शर्मा, जे.एम.एफ.सी. मनावर की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
- 13— श्री कृष्ण वोहरा, जे.एम.एफ.सी. मनावर की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
- 14— श्री पन्ना नागेश, जे.एम.एफ.सी. कुक्षी की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
- 15— सुश्री अर्चना मर्सकोले, जे.एम.एफ.सी. कुक्षी की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
- 16— श्री दीपेन्द्र मालू, जे.एम.एफ.सी. कुक्षी की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
- 17— श्री दिलीप माहोर, जे.एम.एफ.सी. कुक्षी की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
- 18— उपसंचालक, लोक अभियोजन धार की ओर इस निर्देश के साथ प्रेषित की वे रिमांड ड्यूटी के दौरान तहसील न्यायालयों में ए.डी.पी.ओ. को उपस्थित रहने हेतु संबंधित ए.डी.पी.ओ को आदेश की कॉपी भिजवाने का कष्ट करें।
- 19— अभिभाषक संघ, सरदारपुर/बदनावर/धरमपुरी/मनावर/कुक्षी की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 20— पुलिस अधीक्षक, धार की ओर समर्त थाना प्रभारियों को निर्देशित करने के लिये कि उक्त सार्वजनिक अवकाश के दिन न्यायालय भवन में शाम 3:00 बजे से 5:00 बजे तक रिमांड ड्यूटी की जावेगी। अतः उक्त समयावधि में ही रिमांड कार्यवाही प्रस्तुत करें।
- 21— सिस्टम ऑफिसर, कम्प्यूटर अनुभाग धार की ओर इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे इस आदेश की प्रति ई-मेल द्वारा सभी न्यायाधीशगण को आज ही भेजना सुनिश्चित करें।

(प्रसन्न सिंह)

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
धार जिला धार म.प्र.